



2026:AHC: 65086

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 7517 वर्ष 2026

अभिनंदन तिवारी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:

संजय कुमार पांडेय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन शिकायत वाद संख्या 20824/2024 (राज्य बनाम अभिनंदन एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 5/2025, धारा 420, 406, 504 और 506 आई.पी.सी., थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर से उत्पन्न हुआ है, की संपूर्ण कार्यवाही के साथ-साथ आरोप-पत्र दिनांक 14.06.2025 और संज्ञान आदेश दिनांक 06.10.2025, जिसे ए.सी.जे.एम./सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पडरौना, जनपद कुशीनगर द्वारा पारित किया गया है और जो ए.सी.जे.एम. पडरौना, कुशीनगर की न्यायालय में लंबित है, को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने विवादित आरोप-पत्र के साथ संज्ञान/समन आदेश और वर्तमान मामले की पूरी कार्यवाही को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी है कि धारा 420 और 406 आई.पी.सी. एक साथ नहीं चल सकतीं, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य रिपोर्ट 2024 10 एस.सी.सी. 690 के मामले में तय किए गए कानून के प्रस्ताव में कहा गया है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया जा रहा है:—

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"38. हमारी राय में, शिकायत को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर ऊपर बताए गए किसी भी तत्व का पता लगाने में विफलता मिलती है। हम पुलिस के साथ-साथ नीचे की अदालतों के मन में कानून की एक गंभीर गलतफहमी को दूर करने के उद्देश्य से केवल यह कह सकते हैं कि, यदि शिकायतकर्ता का यह मामला है कि अभियुक्त द्वारा धारा 405 आई.पी.सी. के तहत परिभाषित आपराधिक विश्वासघात का अपराध किया गया है, जो धारा 406 आई.पी.सी. के तहत दंडनीय है, तो उसी सांस में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 आई.पी.सी. में परिभाषित और स्पष्ट किए गए धोखाधड़ी का अपराध भी किया है, जो धारा 420 आई.पी.सी. के तहत दंडनीय है।

41. केवल अनुबंध के उल्लंघन और आपराधिक विश्वासघात तथा धोखाधड़ी के अपराध के बीच का अंतर बहुत सूक्ष्म है। धोखाधड़ी के मामले में, प्रलोभन के समय अभियुक्त की मंशा को देखा जाना चाहिए जिसे बाद के आचरण से आंका जा सकता है, लेकिन इसके लिए बाद का आचरण एकमात्र परीक्षण नहीं है। केवल अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता जब तक कि लेनदेन की शुरुआत से ही, यानी वह समय जब अपराध किया गया कहा जाता है, धोखाधड़ी या बेईमानी की मंशा न दिखाई गई हो। इसलिए, यह मंशा ही अपराध का सार है।

43. आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के बीच अंतर है। धोखाधड़ी के लिए, झूठा या भ्रामक प्रतिनिधित्व करने के समय, यानी शुरुआत से ही आपराधिक मंशा आवश्यक है। आपराधिक विश्वासघात में, केवल सुपुर्दगी का प्रमाण ही पर्याप्त है। इस प्रकार, आपराधिक विश्वासघात के मामले में, अपराधी को कानूनी रूप से संपत्ति सौंपी जाती है, और वह उसका बेईमानी से दुरुपयोग करता है। जबकि, धोखाधड़ी के मामले में, अपराधी किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसे कोई संपत्ति देने के लिए कपटपूर्वक या बेईमानी से प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते।

55. अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को कानून का उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे धोखाधड़ी के अपराध बनाम आपराधिक



विश्वासघात के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र और अलग हैं। दोनों अपराध तथ्यों के एक ही सेट में एक साथ मौजूद नहीं हो सकते। वे एक-दूसरे के विपरीत हैं। आई.पी.सी. (अब बी.एन.एस., 2023) के ये दो प्रावधान जुड़वां नहीं हैं कि वे एक-दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते।"

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आवेदन के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए कानून के तय प्रस्ताव पर विवाद करने में असमर्थ रहे।

5. चूंकि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कानूनी मुद्दा उठाया गया है, इसलिए विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को एतद्वारा समाप्त किया जाता है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, मामले के रिकॉर्ड और दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करने पर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि धारा 420 और 406 आई.पी.सी. दोनों एक साथ नहीं चल सकतीं और इसलिए वर्तमान मामले के किसी अन्य गुण-दोष में हस्तक्षेप किए बिना, ए.सी.जे.एम./सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पडरौना, जनपद कुशीनगर द्वारा शिकायत वाद संख्या 20824/2024 (राज्य बनाम अभिनंदन एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 5/2025, धारा 420, 406, 504 और 506 आई.पी.सी., थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर से उत्पन्न हुआ है, में पारित संज्ञान/सम्मन आदेश दिनांक 06.10.2025 को केवल यहाँ के आवेदक (गण) के संबंध में निरस्त किया जाता है। मामले को एतद्वारा विद्वान ए.सी.जे.एम./सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पडरौना, जनपद कुशीनगर को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) के मामले में तय किए गए कानून के सिद्धांत के आलोक में, यदि आवश्यक हो, तो अपराध का संज्ञान लेने का नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेजा जाता है।

7. तदनुसार, तत्काल आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)

28 मार्च, 2026

के.एन